राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 7708/2023

हिमानी विश्नोई पत्नी सुरेंद्र विश्नोई, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मोदीतला, निवासी झंवर, वर्तमान में मकान नंबर 97-98, हरि नगर, झंवर रोड, जोधपुर में रहती है।-- ------याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. शंकर लाल मीना पुत्र महादेव प्रसाद मीना, वर्तमान में प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, शाखा पावटा, जोधपुर, जिला। जोधपुर ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री दिवाकर शर्मा.

प्रतिवादी के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पी.पी.

श्री आर.एस. भाटी, एजीए

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>17/09/2024</u>

1. जोधपुर के विद्वान मेट्रोपोलिटन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर के समक्ष लंबित आपराधिक नियमित मामला संख्या 367/2009 (488/2013) में दायर आरोप-पत्र को खारिज करने के लिए, एफआईआर संख्या 367/2009, दिनांक 06.10.2009 के संबंध में, जो पुलिस स्टेशन

महामंदिर, जोधपुर में धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, और याचिकाकर्ता के संबंध में इससे उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाही, यहां मांगी गई है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 2/बैंक के प्रबंधक ने एक शिकायत प्रस्तुत की जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता/आरोपी के पति ने बैंक से 2 लाख रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड [केसीसी] ऋण की सीमा प्राप्त करने के लिए 04.05.2006 को आवेदन किया था। याचिकाकर्ता- श्रीमती। हिमानी ने ग्राम सुंथला, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित प्लॉट संख्या 355-ए को गिरवी रखकर गारंटी दी। ऋण राशि उसके पति को वितरित की गई। हालांकि, बाद में ऋणदाता द्वारा ऋण राशि का भुगतान न करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। जब बैंक ने याचिकाकर्ता-गारंटर से इसे वसूलने का प्रयास किया, तो पता चला कि उसने गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में झूठे और जाली दस्तावेज गिरवी रखे थे। उक्त आरोप के मद्देनजर, 06.10.2009 को महामंदिर पुलिस स्टेशन, जिला जोधपुर में एफआईआर संख्या 367/2009 दर्ज की गई।

2.1 जांच पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता और उसके पति सुरेंद्र विश्नोई के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत कथित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। मुकदमा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के स्तर पर है और जोधपुर के विद्वान मेट्रोपोलिटन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 के समक्ष कार्यवाही चल रही है।

2.2 इस बीच, सुरेन्द्र विश्नोई ने ब्याज राशि सहित ऋण राशि का भुगतान कर दिया है और संबंधित बैंक द्वारा 'अदेयता प्रमाण पत्र' जारी कर दिया गया है। सुरेन्द्र विश्नोई और शिकायतकर्ता बैंक/प्रतिवादी संख्या 2 के बीच कोई विवाद नहीं है।

3. इसलिए, यह विविध याचिका, संबंधित आरोप-पत्र और एफआईआर को रद्द करने के लिए है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि ऋण राशि का भुगतान किया गया है और बैंक और याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच विवाद का निपटारा हो गया है। इस प्रकार वह दावा करते हैं कि बैंक/शिकायतकर्ता अपने आग्रह पर शुरू की गई लंबित आपराधिक कार्यवाही में आरोप लगाने के लिए इच्छुक नहीं है।

5.1. जो भी हो, उनका आग्रह है कि याचिका गुण-दोष के आधार पर भी स्वीकार की जानी चाहिए, क्योंकि बैंक ने ही सभी बंधक दस्तावेजों पर विचार करने और उनका सत्यापन करने के बाद याचिकाकर्ता के पति सुरेंद्र विश्नोई के पक्ष में वर्ष 2006 में केसीसी ऋण सीमा स्वीकृत की थी। याचिकाकर्ता इस ऋण के लिए केवल गारंटर था। सुरेंद्र विश्नोई द्वारा ब्याज सहित ऋण राशि वापस करने के बाद बैंक द्वारा नो ड्यूज प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया है। इस प्रकार सुरेंद्र विश्नोई और शिकायतकर्ता बैंक/प्रतिवादी संख्या 2 के बीच कोई विवाद नहीं है।

5.2 उन्होंने दृढ़तापूर्वक दोहराया कि बैंक ने यद्यपि आरोप लगाया है कि सुरेंद्र विश्नोई ने झूठे और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके केसीसी ऋण प्राप्त किया है, लेकिन यह बैंक ही था जिसने दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद वर्ष 2006 में ऋण राशि स्वीकृत की थी। फिर भी, बैंक ने अत्यधिक देरी का कारण बताए बिना तीन वर्ष बाद वर्ष 2009 में एफआईआर दर्ज कराई। चूंकि बैंक ने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया था और ऋण स्वीकृत कर दिया था,

इसलिए वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि याचिकाकर्ता ने कथित अपराध किए हैं।

6. सरकारी वकील ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है क्योंकि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल हो जाने और मुकदमा चल जाने के बाद कानून अपना काम करेगा और इसलिए वह याचिका को खारिज करने की मांग करता है।

7. सबसे पहले, मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि मैं याचिका में उल्लिखित आधारों और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत हूं। इस प्रकार याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। कारण खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए देखें कि कैसे।

8. याचिकाकर्ता के पति ने ब्याज सहित ऋण की पूरी राशि चुका दी है। याचिकाकर्ता ने ऋण के लिए केवल गारंटर के रूप में काम किया और ऋण आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेजों की तैयारी में उसकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। ऋण के लिए प्राथमिक दायित्व ऋणकर्ता (उसके पति) पर है, गारंटर पर नहीं। चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने पति के कहने पर दस्तावेज जमा किए थे, इसलिए दस्तावेजों के किसी भी कथित मिथ्याकरण (यदि कोई हो) के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा।

8.1. इसके अलावा, जैसा कि बताया गया है, ऋण स्वीकृत करने से पहले, बैंक का कर्तव्य था कि वह पूरी तरह से जांच करे और गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करे। यदि दस्तावेज वास्तव में फर्जी थे, तो बैंक की अपनी सत्यापन प्रक्रिया उस समय इसका पता लगाने में विफल रही। इसके अलावा, एफआईआर ऋण स्वीकृत होने के तीन साल बाद 2009 में दर्ज की गई थी। यह अस्पष्ट और अनुचित देरी आरोपों की

विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है, खासकर तब जब बैंक ने कथित धोखाधड़ी को संबोधित करने के लिए कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की।

9. इसके अलावा, पूर्ण पुनर्भुगतान प्राप्त करने के बाद, बैंक ने "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी किया, जो याचिकाकर्ता या उसके पति के खिलाफ कोई लंबित दावा नहीं दर्शाता है। यदि बैंक वास्तव में मानता है कि धोखाधड़ी की गई थी, तो यह असंगत है कि वे बिना किसी आपत्ति या आरक्षण के ऐसा प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इससे पता चलता है कि बैंक को अब आपराधिक आरोपों को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

10. अन्यथा भी, आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आपराधिक दायित्व के लिए धोखाधड़ी के इरादे या धोखा देने के जानबूझकर इरादे का सबूत चाहिए। इस मामले में, यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता को धोखाधड़ी करने का कोई ज्ञान या इरादा था। उसकी भूमिका एक गारंटर के रूप में खड़े होने तक सीमित थी, और किसी भी कथित गलत काम में उसकी कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं थी। परिणामस्वरूप, आपराधिक इरादे का आवश्यक तत्व गायब है, जिससे उसके खिलाफ आरोप अपुष्ट हो गए हैं।

11. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, आरोप-पत्र और संबंधित एफआईआर दोनों ही याचिकाकर्ता के संबंध में न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरते।

12. इस आधार पर, याचिका स्वीकार की जाती है। जोधपुर के महामंदिर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 367/2009, दिनांक 06.10.2009 और उससे उत्पन्न आरोप-पत्र, विद्वान मेट्रोपोलिटन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर के समक्ष लंबित आपराधिक नियमित मामला संख्या 367/2009

(488/2013) में दायर किया गया और याचिकाकर्ता के संबंध में अन्य सभी परिणामी कार्यवाही रद्द की जाती है।

13. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा हो जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।